भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव अनुमंडल में उपकारा निर्माण हेतु अर्जित की जा रही भूमि के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पर गठित विशेषज्ञ समूह का मूल्यांकन प्रतिवेदन।

मो0 कैसर अली, सेवानिवृत अपर समाहर्त्ता–सह–अध्यक्ष, विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता में भागलपुर जिलान्तर्गत परियोजना कहलगांव अनुमंडल में उपकारा निर्माण हेतु अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिये चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना से प्राप्त सामाजिक प्रभाव आकलन (एस0आई0ए0) प्रतिवेदन का मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह समिति के सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 12.06.2021 को जिला भू–अर्जन कार्यालय, भागलपुर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

<u>उपस्थिति–बैठक पंजी के अुनसार।</u>

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का अध्यक्ष, विशेषज्ञ समूह द्वारा हार्दिक स्वागत करते हुए तद्नुसार बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक की कार्यवाही में आकलित तथ्यों का विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार है:–

1. संबंधित परियोजना का कार्यान्वयन अधीक्षक, शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर द्वारा की जा रही है, जिसका सामाजिक प्रभाव आकलन चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना द्वारा किया गया है। कहलगांव अनुमंडल में उपकारा के निर्माण के लिये भूमि अर्जन का प्रस्ताव किया गया है।
2. प्रस्तावित परियोजना से कहलगांव प्रखंड के मौजा सलेमपुर सैनी, थाना नं0–251 प्रभावित होंगे। मौजा सलेमपुर सैनी थाना नं0 251 से कुल 15.00 एकड़ भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव किया गया है।
3. उक्त प्रभावित मौजे में प्रत्यक्ष रूप से परियोजना से प्रभावित जमीन मालिकों की संख्या 49 है।
4. परियोजना से प्रभावित होने वाली आबादी में 49 परिवार हैं। सभी परिवार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले हैं। कुल 49 प्रभावित परिवारों में से 18 परिवार सामान्य श्रेणी से हैं। 28 परिवार ओ.बी.सी. श्रेणी से हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोई परिवार नहीं है, जबकि तीन परिवार ई.बी.सी. श्रेणी के हैं।
5. परियोजना से प्रभावित परिवारों में से अधिकांश एकल परिवार का ढांचा है, क्योंकि 42 परिवार (85.71 प्रतिशत) एकल परिवार हैं, जबकि प्रस्तावित क्षेत्र में 7 संयुक्त परिवार हैं। 21 (42.86 प्रतिशत) परिवार ए.पी.एल. परिवार श्रेणी से हैं तथा 53.06 प्रतिशत परिवार बी.पी.एल. श्रेणी से आते हैं। जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, आधे से अधिक परिवार बी.पी.एल. श्रेणी के हैं।
6. अधिकांश परिवार में 3 से 5 सदस्य (55.10 प्रतिशत) हैं, जबकि 38.78 प्रतिशत परिवारों में 6 से 10 सदस्य हैं। 19 परिवार (38.78 प्रशित) व्यवसाय मं लगे हुए हैं, जबकि खेती से 20.41 प्रतिशत और नौकरी पेशा से 22.45 प्रतिशत परिवार जुड़े हुए हैं। प्रभावित परिवारों में से 34.69 प्रतिशत परिवार की वार्षिक पारिवारिक आय (ए.एच.आई.) एक लाख रूपये तक है, जबकि 24.49 प्रतिशत की ए.एच.आई. 1 लाख से 2 लाख रूपये के बीच है। 22.45 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख रूपये से उपर है।

7. परियोजना क्षेत्रों में कुल 1441 पेड़ों, 6 पम्प वेल एवं 5 मकानों का नुकसान हो रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन में अपेक्षाकृत साकारात्मक प्रभाव भी दर्शाये गये है, जो निम्न प्रकार है –

(क) प्रस्तावित परियोजना से लोगों के जीवन शैली पर साकारात्मक प्रभाव होंगे।

(ख) ग्रामीणों के स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

(ग) बुनियादी उद्योगों (खुदरा व्यापार व उपभोक्ता सेवाओं) पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

(घ) नये फॉर्मों की अवस्थिति द्वारा स्थानीय आर्थिक विकास में तरक्की होगी।

उपर्युक्त वणिर्त तथ्यों के आलोक में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) प्रतिवेदन पर विशेषज्ञ दल इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि

(I) उक्त परियोजना से प्रभावित परिवारों द्वारा उठायी गयी समस्याओं पर उचित ध्यान देना चाहिए और परियोजना के सुचारू रूप से संचालन के लिये उनका निपटारा करना चाहिए।

(II) 5 पूर्ण रूप से विस्थापित रैयतों और 6 भूमिहीन रैयतों के बंदोबस्ती के लिए अधिक मुआवाजा दिया जाना चाहिए।

(III) परियोजना के निर्माण में कुल 1441 पेड़ो का नुकसान हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन वन और कृषि विभाग की मदद से पेड़ों के फलों की क्षमता, ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता, लकड़ी मिलने की संभावना, मिट्टी के समृद्धिकरण और अन्य मानकों के आधार पर किया जायेगा।

(IV) प्रभावित रैयतों के जल्द बन्दोवस्ती के लिये जल और सिंचाई विभाग द्वारा पम्प वेलो का मूल्यांकन किया जायेगा।

(V) प्रभावित मकानों और उनके निर्माण का मूल्यांकन निर्माण विभाग की मददसे की जायेगी। साथ ही सक्षम पदाधिकारियों द्वारा उपयुक्त बन्दोबस्ती की जायेगी।

(VI) परियोजना की वजह से होने वाले प्रत्यक्ष नुकसानों के लिये मुआवजे के भुगतान के अलावा अत्यंत असुरक्षित समूहों को विशेष सहायता जैसे समूहों के लिये अन्य पेशों के अवसर का सृजन, अत्यंत असुरक्षित समूहों के लिये शिक्षा में बढ़ोतरी के कदम उठाना, पौल्ट्री एवं अन्य कृषि आधारित गतिविधियों में कौशल के लिये प्रशिक्षण, कर्ज की सुविधा का विस्तार, शिविर लगाकर मुआवजा प्रदान करना चाहिए।

(VII) संबंधित विभाग को वर्गीकृत अत्यंत असुरक्षित समूहों तथा प्रभाव के शमन के लिये दिये गये सुझावों पर उचित ध्यान देना चाहिए।

(VIII) प्रभावित इच्छुक परिवारों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(IX) परियोजना से प्रभावित लोगों के लिये प्राप्त होने वाले सामाजिक आर्थिक लाभ अधिक होंगे।

(X) परियेाजना से होने वाले नुकसान के मद्देनजर बिहार सरकार स्थानीय लोगों को वरीयता के आधार पर रोजगार प्रदान करने पर विचार कर सकती है।

(XI) प्रभावित लोगों को समय पर मुआवजा देने के लिये गांव में शिविर लगाकर मुआवजा राशि का वितरण किया जाना चाहिए।

(XII) उपरोक्त कारणों से उक्त परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य को शत प्रतिशत पूरा करता है।

(XII)(a) पेड़–पौधों के नुकसान के मूल्यांकण के लियसे वन विभाग के अधिकारी से क्षतिपूर्ति राशि का आकलन प्रापत किया जा सकता है।

(XIII) उक्त परियोजना से संभावित लाभ की दृष्टि से प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव नगण्य है।

(XIV) प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण परियोजना के लिये न्यूनतम सीमा है

इस संबंध में विशेषज्ञ दल समूह का कुछ सुझाव निम्न प्रकार है–

(a) परियोजना के लिये अर्जनाधीन क्षेत्रों के वास्तविक रकवा की जाँच पुनः कर ली जाय, तद्नुसार अधिसूचना की कार्रवाई की जाय।

(b) जिन अर्जनाधीन भूमि के खतियानी रैयत जीवित नहीं हैं, उनके उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व अभिलेखें में दर्ज करने की कार्रवाई शिविर के माध्यम से करने की आवश्यकता है, जिससे जमीन मालिकों की पहचान करने और प्रभावित परिवारों के बीच मुआवजा का भुगतान करने में मदद मिलेगी।

(c) इस प्रकार के परियोजनाओं का परिणामों से कुछ समूहों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(d) यह परियोजना क्षेत्रीय सर्वांगीण विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इस नव निर्मित संरचना से समग्र विकास को बल मिलेगा।

उपरोक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अन्य विनिर्दिष्ट स्थानों पर प्रकाशन हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर अपने स्तर से कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

ह0–
अध्यक्ष
गठित विशेषज्ञ समूह,
भागलपुर।

ज्ञापांक LXIV-01/18-720/भू0अ0, भागलपुर दिनांक 27.07.2021

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, भागलपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, भागलपुर कों सूचनार्थ एवं जिला वेब साईट इत्यादि पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कहलगांव को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से भी प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, कहलगांव को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से भी प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अवर निबंधन पदाधिकारी, कहलगांव/भागलपुर को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से भी प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर को को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुखिया, ग्राम पंचायत सलेमपुर सैनी को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से भी प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सरपंच, ग्राम पंचायत सलेमपुर सैनी को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से भी प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ग्रामीण आम चौराहा सलेमपुर सैनी।

24/7/21

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
भागलपुर।

23.07.21